न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर– तृतीय, जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्रीमती कुन्तल विश्नोई
2. प्रकरण संख्या : 13/2018
3. उनवान : सरकार जरिये तहसीलदार फुलेरा (हाल किशनगढ रेनवाल) जिला जयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

श्योजी पुत्र लादू जाति अहीर नाथी का बास तहसील फुलेरा मु. सांभरलेक जिला जयपुर।

–अप्रार्थी

4. निर्णय दिनांक : 04-05-2025
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार सरकार प्रार्थी की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा सेटलमेन्ट खतौनी ग्राम नाथीकाबास तहसील फुलेरा संवत 2011–2029 के आराजी खसरा नंबर 375 रकबा 84 बीघा 19 बिस्वा किस्म गै.मु. नदी सिवाय चक भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 416 से श्योजी पुत्र लादू जाति अहीर निवासी नाथीकाबास को जरिये आवंटन दिनांक 05.07.1999 के द्वारा दर्ज हो गई। जिसके संबंध में रेफरेन्स प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर द्वारा दिनांक 30.01.2006 को निर्णय पारित कर रेफरेन्स हेतु माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने दिनांक 07.06.2013 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का पुनः परीक्षण करने एवं आवंटन आदेश का परीक्षण कर, यदि आवश्यक हो तो रेफरेन्स पुनः प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया।

प्रकरण प्राप्त होने पर पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर की गई तथा मा0 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्देशों की पालना में प्रार्थी तहसीलदार को पुनः परीक्षण कर और आवंटन आदेश की वैधानिकता का परीक्षण कर यदि आवश्यक हो तो नवीनतः रेरफरेन्स प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया।

प्रार्थी तहसीलदार फुलेरा द्वारा अपने पत्रांक भू.अ./2017/3661 दिनांक 12.09.2017 से पुनः रेफरेन्स तैयार कर भिजवाया गया जिसमें अंकित किया गया है कि ग्राम नाथीकाबास तहसील किशनगढ रेनवाल में स्थित ख. नं. 375 किस्म गै.मु. जमीन नदी मिसल बंदोबस्त संवत 2011–29 में दर्ज रही है। मिसल बंदोबस्त संवत 2011–29 से नियमन संवत 2057 तक उक्त भूमि की किस्म गै.मु. नदी दर्ज रही है। संवत 2057 में जमाबंदी ग्राम नाथी का बास के खाता संख्या 203 में उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांक 9032 दिनांक 05.07.1999 के तहत कुंआ नियमन आदेश से खसरा नम्बर 375 रकबा 84.19 बीघा किस्म गै.मु. नदी में से 0.01 बीघा (एक बिस्वा) भूमि का श्री श्योजी पुत्र लादु जाति अहीर निवासी नाथी का बास को गैर खातेदार जमाबन्दी में विधि विरुद्ध अंकित कर दिया गया है। उक्त नियमनशुदा भूमि ख.नं. 375 में से 0.01 बीघा किस्म गै.मु. नदी पर वर्तमान में गैर खातेदार श्योजी पुत्र लादू जाति अहीर निवासी नाथी का बास काबिज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार जल स्त्रोतों से संबंधित किस्म यथा नदी, नाला, तालाब, अंगौर, औरण, पायतन आदि भूमियों का आवंटन अपवर्जित है। उक्त प्रकरण में आवंटन आदेश से गैर खातेदारी दर्ज करन एवं गैर खातेदार अधिकार दिया जाना विधि विरुद्ध है। इस प्रकार के आवंटन/नियमन आदेश से खातेदारी/गैर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं

अतिरिक्त कलक्टर एवं

सरकार बनाम श्योजी

हो सकते हैं। माननीय राजस्व मण्डल के रेफरेंस प्रकरण संख्या एल.आर. /2132/2006/जयपुर उनवान राज्य सरकार बनाम श्योजी पुत्र लादू जाति अहीर निवासी नाथी का बास निर्णय दिनांक 07.06.2013 के द्वारा सूक्ष्म परीक्षण कर रेफरेंस प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किये जाने पर यह प्रकरण पुनः प्रस्तुत किया गया। नियमन आदेश से दी गई खातेदारी निरस्त योग्य है। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय दिनांक 02.08.2004 के पैरा संख्या 1 से 8 की पालना अंतर्गत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर एवं जिला कलक्टर जयपुर के निर्देशानुसार विधि विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा दिये गये नियमन आदेश से स्वीकृत विधि विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 24.08. 1999 ग्राम नाथी का बास को सेट असाइड कर पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेंस प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने का निवेदन किया गया है।

अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। बावजूद सूचना अप्रार्थी अनुपस्थित रहा। तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस में नीयत की गई। सरकार पैरोकार ने दौराने बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए ख.नं. 375 रकबा 0.01 बीघा किस्म गै.मु. नदी वाके ग्राम नाथी का बास के सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 24.08.1999 ग्राम नाथी का बास को सेट असाइड कर पूर्व स्थिति बहाल करने हेतु रेफरेंस प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित करने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तथा सरकार पैरोकार की बहस पर मनन किया। हस्तगत रेफरेन्स प्रार्थी तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा नामान्तरण संख्या 416 दिनांक 24.08.99 ग्राम नाथी का बास के खसरा नंबर 375/1/2 रकबा 1 बिस्वा भूमि के संबंध में विचाराधीन है। उक्त भूमि उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक के आदेश क्रमांक 9032 दिनांक 05.07.1999 के आदेश से श्योजी पुत्र लादु जाति अहीर के नाम दर्ज हुयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट है कि "The Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Digging of Wells and Installing of Pumping Sets for Irrigation Purposes) Rules, 1979" के नियम 12ए के तहत उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक का उक्त आदेश दिनांक 05/07/1999 जारी किया गया है, जिसकी 20 वर्ष की लीज अवधि 2019 में समाप्त हो चुकी है। अतः उक्त आवंटन स्वतः ही निष्प्रभावी हो गया है। जमाबन्दी संवत 2011 –29 में उक्त भूमि किस्म गै0मु0 नदी राजकीय खाते में सिवायचक बिना लगानी दर्ज थी। अतः अब्दुल रहमान बनाम सरकार में मा0 उच्च न्यायालय के दिनांक 02/08/2004 की पालना में तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार उक्त भूमि किस्म गै0मु0 नदी सिवायचक होने के कारण आवंटन नियमन हेतु प्रतिबंधित है। उक्त भूमि को पूर्वानुसार गैर मुमकिन नदी सिवायचक राजकीय खाते में दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

अतः ग्राम नाथी का बास के खसरा नंबर 375/1/2 रकबा 1 बिस्वा भूमि की किस्म पूर्वानुसार गै0 मु0 नदी सिवायचक की जाकर राजकीय खाते में दर्ज किये जाने हेतु रेफरेंस स्वीकार कर माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रेषित करने हेतु पत्रावली तहसीलदार किशनगढ रेनवाल को भिजवाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 04.05.2020 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर दर्ज नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।

(कुन्तल विश्नोई)
अति. जिला कलक्टर एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर